13

संख्या 76 /उन्तीस (2)/05-2(57पे.)/2004

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 18 जून , 2005

विषय : जनपद टिहरी गढ़वाल के कोटेश्वर झण्डीधार पम्पिंग पेयजल योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 227/अप्रैजल टिहरी/ दिनांक 18.5..2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद टिहरी गढ़वाल की कोटेश्वर झण्डीधार पम्पिंग पेयजल योजना लागत रू0 1247.33 लाख (रू0 बारह करोड़ सैंतालीस लाख तेतीस हजार मात्र) के आगणन के परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी रू0 970.38 लाख (रू0 नौ करोड़ सत्तर लाख अड़तीस हजार मात्र) की लागत के आगणन, जिसमें सिविल कार्यो हेतु रू0 634.60 लाख एवं विद्युत यांत्रिक कार्यो हेतु रू0 335.78 लाख सम्मिलित है, पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिये जाने के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय हेतु रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। विद्युत यांत्रिक कार्यो में प्रस्तावित ई0आई0एफ0 हेतु रू0 4500.00 तथा बाई चार्जेज (Eag. Charges) हेतु रू0 23.68 लाख की धनराशि तभी देय की जाय, जब निर्माण इकाई से उक्त राशि का औचित्य विभाग को प्राप्त हो जाता है।

क्रमशः-2

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैरिटंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लायी जाय।

(9) प्रश्नगत योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति पृथक से निर्गत की जायेगी।

(10) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(11) योजना को स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा तथा किसी भी दशा में पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकार नही होगा।

2. योजना की स्वीकृत लागत के सापेक्ष सेन्टेज चार्जेज किसी भी दशा में 12.5 प्रतिशत से अधिक नही लिया जायेगा, यदि इससे अधिक सेन्टेज व्यय पाया जाता है तो इसका सम्पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

3. प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर एवं जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार नैनीताल में प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी तथा आहरण के तुरन्त बाद बिल वाऊचर संख्या व दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को उपलब्ध करायी जायेगी। धनराशि आहरण के एक सप्ताह के भीतर जनपदीय अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–"2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम–03–ग्रामीण पेयजल राज्य सेक्टर–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता " के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 579/वित्त अनु0–3/2005 दिनांक 16 जून, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या 76 /उन्तीस (2)/05–2(57पे.)/2004 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रकल्प शाखा, उत्तरांचल पेयजल निगम, देवप्रयाग (टिहरी) को इस आशय से प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का आहरण सुनिश्चित करने के साथ ही संबंधित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को शासन में भेजकर आगणन में की गई कटौतियों के विवरण को नोट करने हेतु निर्देशित करें।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
8. वित्त अनुभाग–3/वित्त (बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अनु सचिव